[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 29 जून, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.नि. (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2017- एकीकृत कर (दर) तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 669(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, की पंकति 9 में, "राज्य के भीतर" शब्दों के स्थान पर "अंतर–राज्य" पढ़ें।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी) अवर सचिव, भारत सरकार